



फोन : 0135 2675408  
फैक्स : 0135 2675408

E-mail : seemddun16@yahoo.com  
E-mail : semchddn@gmail.com

## कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता

यांत्रिक मण्डल

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

16, लक्ष्मी रोड, देहरादून, (उत्तराखण्ड) – 248001

पत्रांक..... /

दिनांक 13/1/16

### ई-टेंडर नोटिस

1. कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड- कीर्तिनगर के अर्न्तगत कोटेश्वर सिल्काखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना (फेज-11) के अर्न्तगत पम्पिंग प्लान्टस व तत्सम्बन्धी सामग्री की आपूर्ति, अधिष्ठापन कमीशनिंग, टैस्टिंग एवं 06 माह अनुरक्षण कार्य।
2. निविदा की अनुमानित लागत :- ₹0 478.47 लाख
3. धरोहर धनराशि :- ₹0 9.56 लाख
4. निविदा प्रपत्र की लागत :- ₹0 2500.00+13.5% व्यापक कर
5. कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 14 माह
6. ई-पोर्टल पर निविदा उपलब्ध कराने की तिथि एवं समय :- 20.01.2016, सांय 05:00 बजे
7. निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि/समय :- 11.02.2016, सांय 4:00 बजे
8. निविदा आमन्त्रण करने वाले अधिकारी का नाम एवं पता :- इं० डी०पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, यांत्रिक मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 16- लक्ष्मी रोड देहरादून।
9. प्री-बिड मीटिंग का दिनांक एवं स्थान :- 28.01.2016 अपराह्न 2:00 बजे, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, यांत्रिक मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 16- लक्ष्मी रोड देहरादून।
10. अन्य संशोधन/शुद्धि-पत्र एवं निरस्तीकरण आदि के लिये वेबसाइट पर लॉग-इन करते रहें।
11. अधिक जानकारी के लिये लॉग-इन करें [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) है।

(डी०पी०सिंह)  
अधीक्षण अभियन्ता

प्रकाशन के लिए नहीं-

पृ०सं० 318 / ई-निविदा / 03 दिनांक- 13/1/16

प्रतिलिपि:-

1. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून/कोटद्वार।
2. अधिशासी अभियन्ता (मु०) प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. **M/s F.M Advertising, Shiv kirpa complex, GMS road, Near Kamla Palace Hotel, Dehradun** (mob no-9897212130) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना को व्यापक परिचालन वाले एक हिन्दी राष्ट्रीय समाचार पत्र (दिल्ली/उत्तराखण्ड संस्करण) एवं एक अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचार पत्र (दिल्ली संस्करण) में न्यूनतम सम्भव साईज में एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता